न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, सहारनपुर।

अरविन्द बनाम बिट्टू आदि।

प्रकीर्ण वाद संख्या–335/2022

थाना–तीतरो, जिला–सहारनपुर।

आदेश

03.12.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अरविन्द मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आया। प्रार्थी/वादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस आशय का दिया गया है कि उसका विपक्षीगण से सुलह समझौता हो गया है। प्रार्थी उपरोक्त वाद को चलाना नही चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. विपक्षीगण को तलब कर दण्डित किये जाने हेतू प्रस्तुत किया गया था। पत्रावली वास्ते सुनवाई नियत है, किन्तु प्रार्थी द्वारा आज न्यायालय में उपस्थित होकर यह कथन किया गया है कि वह उक्त वाद को चलाना नही चाहता है तथा उसके द्वारा उक्त के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र समर्थित शपथ पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. प्रार्थी द्वारा बल न दिये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
सहारनपुर।
J.O. code UP2578

Digitally signed by Mohammad Arif
Date: 2022.12.03 16:57:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court